भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 902

27 जून,2019 को उत्तर के लिए

ljdkjh vkokl j[kuk

902- Jh misUnz flag jkor%
Jh dkS'ky fd'kksj%

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सेवानिवृत्ति के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा उपयुक्त किराये का भुगतान कर सरकार के कर्मचारियों को विशेष रूप से चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा के आधार पर आजीवन सरकारी आवास को रखने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकारी सामान्य पूल रिहायशी आवास(सीजीजीपीआरए)नियमावली,2017 के नियम 40(1)(ii) के अनुसार, कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो सामान्य पूल रिहायशी आवास(जीपीआरए) का आबंटी है, सेवानिवृत्त होने पर सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर सरकारी आवास को छः महीने तक अपने पास रख सकता है ।

******